मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 1 अगस्त, 2005 (श्रावण 10, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 71 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गजराजसिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के पोरसा नगर के तीन ट्रांसफार्मर खराब होने से अंधकार एवं चोरियां होने के संबध में,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधान सभा अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शासन के निर्देशों के बाद भी मध्यान्ह भोजन न दिया जाना,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकासखंड में विधायक निधि की स्वीकृत राशि में विलंब होने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण होने,

(4) श्री मनोहरलाल राठौर,सदस्य की हरदा जिले में प्राथमिक शाला एवं ई.जी.एस.स्कूल भवन निर्माण में गुणवत्ता नहीं होने,

(5) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाडा जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सौभग्यवती योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता के संबंध में,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के कैलारस थाना अंतर्गत ग्राम रघुनाथ पुर में लापरवाही से ट्रेक्टर चलाने से एक व्यक्ति की मौत होने,

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की सतना जिले के तहसील ग्राम हिनौती में गांव के पटवारी द्वारा मार्ग बंद किये जाने के संबंध में,

(8) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की म.प्र.राज्य शिक्षा कर्मियों द्वारा 1 अगस्त 05 को विभिन्न मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने,

(9) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत हेडवार आवासीय कालोनी की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में, तथा

(10) श्री जितेन्द्र, सदस्य की छतरपुर जिले के विकासखण्ड लोड़ी के ग्राम कटहरा में ग्रेनाइट खदानों में डाइनामाइट लगाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

(शून्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य एवं अन्य विपक्ष के सदस्यगण कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कमल पुष्प का चित्र छापे जाने की बात को लेकर गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात सदन से बहिर्गमन किया)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसारः-

(क) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां), तथा

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) तथा

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखे।

4. व्यवस्था

कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका में कमल पुष्प का चित्र छापे जाने संबंधी मामला उठाने पर व्यवस्था ।

शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी द्वारा कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका में कमल पुष्प का चित्र छापे जाने की बात उठाई गई तथा इस मामले पर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

बहिर्गमन करने के पश्चात् वापस सदन में आकर विपक्ष द्वारा उसी विषय को उठाया गया तो उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

"माननीय नेता प्रतिपक्ष ने शून्यकाल के दौरान एक प्रकरण उठाया आपने गर्भगृह में आकर आक्रोष व्यक्त किया लेकिन उस समय मैने यह बात नहीं कही कि आप किस नियम से यह प्रकरण उठा रहे हैं। लेकिन एक नई परंपरा इस सदन में स्थापित की जा रही है कि बहिर्गमन के बाद जिस विषय पर बहिर्गमन किया गया था,सदन में लौटकर वापस आने के बाद उसी विषय पर पुनः चर्चा करना कहां तक उचित है।

मेरा निवेदन यह है कि नियमों में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई बात सदन के पटल पर रखी जाती है और उस विषय का पटाक्षेप आपकें बहिर्गमन से हो जाए, तो एसा कहीं भी नहीं है और बहुत स्पष्ट बात है कि उसी विषय पर फिर से चर्चा नहीं हो सकती । इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि अब उस विषय पर चर्चा न करें।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों तथा श्री रामलखन शर्मा एवं डॉ. सुनीलम् सदस्य द्वारा कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कमल का पुष्प छापे जाने के विरोध में गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये परंतु व्यवधान होने के कारण संबंधित सदस्यों द्वारा सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकी.)

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

पं. रमेश दुबे, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी जिले के-

(क) ग्राम तानपुर से झूड़ तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम तानपुर में 110 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
(ग) ग्राम ठर्रा में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(घ) ग्राम पंचायत खड़ोच में मुखाझर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ङ) ग्राम रहरगवां मं प्राथमिक उप. स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(च) ग्राम सिरसौना-करेरा मार्ग पर पुल बनाये जाने,
(छ) ग्राम सलैया करैरा में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(ज) ग्राम सलैया में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(झ) ग्राम सिरसौद में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,
(ञ) ग्राम वीरा की नलजल योजना को प्रारंभ कराये जाने,
(ट) ग्राम वीरा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(ठ) ग्राम भड़ाबाउड़ी में नलजल योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,
(ड) शिवपुरी नगर के सदर बाजार स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने
(ढ) ग्राम पंचायत पिपरों में महुअर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ण) ग्राम तिगरी में अनुसूचित जाति के लिये आवासीय कालोनी बनाये जाने,
(त) ग्राम बड़ौरा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(थ) ग्राम चंदावली स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(द) शिवपुरी नगर में सीवर लाईन डलवाये जाने,
(ध) शिवपुरी नगर में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(न) शिवपुरी नगर के वार्ड क्र. 1 में बिजली लगाये जाने,
(प) ग्राम नारही में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(फ) श्योपुर-शिवपुरी मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,
(ब) ग्राम सिंह निवास से ख्यावदा तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(भ) ग्राम ख्यावदा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(म) सिरसोना से करैरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(य) ग्राम सुहारा में नलजल योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,
(र) ग्राम बड़ौरा में सलाई नदी पर बांध बनाये जाने,
(ल) ग्राम सिरसोद से तिगरी तक सड़क बनाये जाने,
(व) झांसी रोड से सिला नगर तक सड़क बनाये जाने,
(श) ग्राम सलैया से सिरसोन-खोड़ रोड तक सड़क बनाये जाने,
(ष) ग्राम नारही में पंखिया नहर पर पुल बनाये जाने,
(स) ग्राम मेहदावली में तालाब बनाये जाने, तथा
(ह) ग्राम राजापुर में तालाब बनाये जाने,

(2) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम पिपरियाकला में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(ख) ग्राम साली चौका से इमलिया तक सड़क बनाये जाने,
(ग) गाडरवारा से कांधरगांव तक सड़क डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम आमगांव से झांझरगांव तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ङ) गाडरवारा रेल्वे स्टेशन से बायपास तिराहे तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(च) ग्राम डुंगरिया में विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने, तथा
(छ) ग्राम साईखेड़ा से पिटरास मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने,

(4) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य की मंदसौर जिले के -
(क) ग्राम हिगोरिया के हाईस्कूल को नियमित कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम अमलावत में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के उमरियापान-सिहोरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम छोटी व्हांगी में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ख) ग्राम बेहट में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ग) मुरार नगर के सिंहपुर रोड मंदिर के पास से कलारी हटाये जाने,

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम बसीगड़ा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम देवरा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम मलेगवां स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम बिछरहटा स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ङ) मऊगंज नगर में बनी उप जेल को प्रारंभ कराये जाने,

(च) ग्राम धोंसड़ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(छ) ग्राम गौरी स्थित कन्या हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ज) हनुमना नगर में सिविल कोर्ट खोले जाने, तथा

(झ) ग्राम जड़कुड़ स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम सिंहपुरा के पास मानगढ़ माईनर पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(ख) लहार भिण्ड सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम रौन में तरी के ताल से अतिक्रमण हटाये जाने,

(9) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की खण्डवा जिले के -

(क) ग्राम मालूद के मकानों को अधिग्रहीत कर मुआवजा दिलाने तथा विस्थापित किये जाने,

(ख) सुलगांव-धनगांव, बीड-मूंदी-धारगवाड़ी-जलकुआ तथा लहाड़पुर-सोमगांव मार्ग पर आने वाली नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) ओंकारेश्वर नगर पंचायत के नाविकों को रोजगार देने तथा व्यवस्थित किये जाने,

(10) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) नामली-धामनौद मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ख) धराड़-भातीबड़ोदिया- मून्दड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) मून्दड़ी-छत्ती-बिरमावल-सातरूण्डा मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(11) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम डांगावानी पिपरिया में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ख) विधान सभा क्षेत्र चौरई में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्माण कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने,

(ग) ग्राम कुपुर्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(घ) ग्राम जम्होड़ी पण्डा में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा
(ङ) ग्राम चांदढ़ाना को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाये जाने,

(12) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -
(क) श्योपुर नगर स्थित महाविद्यालय में विधि की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(ख) बरगंवा पालपुर मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ग) ग्राम सुंसवाड़ा के पास नदी पर पुल बनाये जाने,
(घ) श्योपुर में आई.टी.आई. खोले जाने,
(ङ) श्योपुर नगर में बायपास मार्ग बनाये जाने,
(च) जुवाड़-डिलवाड़ा, पच्चीपुरा-ननावढ़, निमोदापीर-घुढ़ा आदि मार्गों का डामरीकरण कराये जाने,
(छ) गौरस-आवदा मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने,
(ज) गोरस श्यामपुर मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने,
(झ) ग्राम प्रेमसर से भोगी का तिराहे तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ञ) बड़ोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने, तथा
(ट) श्योपुर नगर स्थित महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई.

7.लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2005-2006 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त हुए तीन स्थानों, प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमशः तीन सदस्यों तथा एक-एक सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा,प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार,दिनांक 2 अगस्त, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 3 अगस्त, 2005 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार,दिनांक 4 अगस्त,2005 को अपराह्न 3.00 बजे तक दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन,यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार,दिनांक 5 अगस्त,2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है.

(श्री सुखदेव पांसे, सदस्य "बैतूल जिले के अनेक ग्रामों में खरीफ की फसलों पर कंबल कीडों का प्रकोप होने" संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

(सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची के अन्य विषय लिये जाने पर आपत्ति करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची के अन्य विषय लिये जाने पर विरोध प्रकट करते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

(डॉ. सुनीलम्,सदस्य द्वारा प्रदेश के शिक्षकों का घोर अपमान होने की बात कहते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ.नरोत्तम मिश्रा, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005),

(2) श्री हिम्मत कोठारी, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005),तथा

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17 सन् 2005),
सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये.

9. वर्ष 2005-2006 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

" दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 95 तथा 96 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार नौ करोड़, तेरह लाख, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लालसिंह आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री शंकरलाल तिवारी

श्री राघव जी वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 2005 (क्रमांक 15 सन् 2005) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक 2005 (क्रमांक 15 सन् 2005) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ

12.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त, 2005 (श्रावण 11, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.